न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीराम बनाम बाबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा प्रकरण - 132/2024
11.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2319/भू0अ0/2025 दिनांक 30.07.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 22.08.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
24.09.2025	दिनांक 22.08.2025 को अभिभाषक संघ श्रीमाधोपुर द्वारा हडताल पर जाने एंव समस्त न्यायालयों में कार्य स्थगन किये जाने के कारण पत्रावली में इकजाई तारीख पेशी नियत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में अन्तिम निर्णय हेतु बहस सुने दो माह से भी अधिक का समय हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में वादपत्र में अन्तिम निर्णय किये जाने हेतु वकील वादीगण की बहस पुनः सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
25.09.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

श्रीराम बनाम बहुमत

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा	मु. नं. - 132/2024

नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म

आन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तदनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी -- श्री अनिल कुमार **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
132 / 2024	2024 / 386	30.10.2024	25.09.2025 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. शीशराम पुत्र रिछपाल आयु 50 वर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. मदनलाल पुत्र श्योकरण आयु 50 वर्ष, जाति जाट निवासी ढाणी सुखसागर पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना राज0

--वादीगण--

बनाम्

1. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण, आयु ... वर्ष, निवासी कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

--प्रतिवादीगण--

उपस्थितः--

श्री झाबर सिंह भारणी, फूलचन्द सामोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र बाबत [illegible]

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 987/275 रकबा 1.3850 हैक्टर तन् ग्राम कचनपुर पटवार हल्का कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित होकर वादी संख्या 1 हिस्सा 1/4 एंव वादी संख्या 2 हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एंव बाकी 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी वादीगण व पतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार वादीगण अपने 1/2 भाग की भूमि पर पश्चिमी तरफ काबिज काश्त चले आ रहे है एंव प्रतिवादी संख्या 1 अपनी 1/2 भाग की भूमि पूर्वी तरफ पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी भूमि को कई लाखों रूपयें खर्च करके विकसित व उपजाउ बना रखी है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि का विभाजन करवाकर अपनी उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से मिन/बट्टा नम्बर डलवाकर अलग से दर्ज करवाकर अलग से लगान कायम करवाने के अधिकारी है एंव प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण की हक हिस्सा खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि के कब्जे काश्त एंव स्वंतत्र उपयोग उपभोग जायज रिहायशी निर्माण आदि मे किसी प्रकार की बाधा कारित करने व वादीगण को भूमि से बेदखल करने व दीगर से करवाने एंव वादीगण के हितों पर कुठाराघात करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 1 काफी प्रभावशील व्यक्ति है एंव धन बल से सम्पन्न है जो वादीगण की हक हिस्सा खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि के कब्जे काश्त एव स्वतंत्र उपयोग उपभोग जायज रिहायशी निर्माण आदि में [illegible] करता रहता है। इसी मंशा पूर्ति हेतु प्रतिवादी सं. 1 अपने साथियों [illegible] दिनांक 19.10.2024 को आया एंव वादीगण के कब्जे काश्त व स्वतंत्र उपयोग [illegible] एंव जायज रिहायशी निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदि मे व्यवधान पैदा किया एंव वादीगण को धमकी दी कि हम तुम्हारी हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर जोर जबरन लाठी व ताकत के बल पर गुण्डे प्रवृत्ति के व्यक्तियों को साथ लेकर बलात् कब्जा करके रहूँगा एंव तुम्हारे को बेदखल करके रहूँगा एंव तुम्हारे को भूमि का स्वतंत्र उपयोग उपभोग नही करने देने की धमकी दी जाने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वादपत्र पेश कर विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 987/275 रकबा 1.3850 हैक्टर वाके ग्राम कचनपुर पटवार हल्का कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का पक्षकारान् वादीगण एंव प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य मौके के बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त एंव हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर वादीगण को उनकी हक हिस्सा, खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि 1/2 भाग पश्चिमी तरफ का राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से मिन् बटटा नम्बर डालकर अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाये जानें का निवेदन वकील वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में किया है। दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने पर वकील वादीगण ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण ने प्रकरण के [illegible] से सम्बन्धित होने से प्रकरण मे प्रारम्भिक डिक्री जारी [illegible] पर प्रकरण वादपत्र में दिनांक 10.06.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी [illegible] जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/रथा/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2340/रीडर/2025 दिनांक 02.07.2025 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग अलग रंगो में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2319/भू.अ./2025 दिनांक 30.07.2025 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमनें वकील वादीगण की बहस ध्यानर्पूवक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 व खसरा नक्शा एंव जमाबन्दी अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 987/275 रकबा 1.3850 हैक्टर तन् ग्राम कचंनपुर पटवार हल्का कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी वादीगण एव प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा उसका पक्षकारान् के मध्य अभी तक विधिक बंटवारा होना रिकार्ड पर नहीं पाया जाता है। पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौके के बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त की भूमि 1/2 भाग पश्चिमी तरफ का एंव खातेदारी में दर्ज हक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किया जाकर अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग [illegible]कर नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाने बाबत वकील वादीगण ने सहमति व्यक्त की है। वकील वादीगण की सहमति के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर चले आ रहे कब्जा काश्त अनुसार पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर वादी व प्रतिवादी को उसकी हक हिस्सा एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में वकील वादीगण की सहमति पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकाड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्ति[illegible] डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एव प्रतिवादी के [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 30.07.2025 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :–

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रु. में)
	1. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर हि.1/2 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 2. मदनलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट हिस्सा 1/4 कॉलोनी ढ़ाणी सुख सागर, पचंलगी जिला सीकर सा. देह खातेदार 3. शीशराम पुत्र रिछपाल जाति जाट हिस्सा 1/4 कॉलोनी जरावन्तपुरा कल्याणपुरा जिला सीकर सा. देह खातेदार	987/275	1.3850	बारानी 1	7.12
	योग खाता	किता 1	[illegible]850	——	7.12

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. शीशराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी जरावन्तपुरा, मदनलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी बहिस्सा बराबर 2. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण	987 / 275 / 1 987 / 275 / 2	0.6925 0.6925	बारानी–1 बारानी–1	
	योग खाता	किता – 2	1.3850	बारानी–1	

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर ... –अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावे। ... श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2319 / भू.अ. / 2025 दिनांक 30.07.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर) र

यह निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर) र

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested